अध्याय 5

निष्कर्ष और सिफारिशें

5.1 निष्कर्ष

- विभाग बसों की परिचालन आवश्यकताओं की रणनीति बनाने और रोडवेज के पर्याप्त बेड़े को स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए नियमित मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को करने के लिए आवश्यक निधियों के आबंटन में विफल रहा।

- पिछले कुछ वर्षों में बजट का समग्र रूप से कम उपयोग हुआ था और परिचालन निष्पादन को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए बजट का कम उपयोग अधिक था। परिवहन विभाग/हरियाणा विद्युत क्रय समिति द्वारा निर्णय न लेने तथा तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप न देने/बार-बार संशोधन करने के कारण विभाग संस्वीकृत किए गए ₹ 700.45 करोड़ के विरूद्ध चेसिस की खरीद तथा बस बॉडी के निर्माण के लिए केवल ₹ 157.48 करोड़ का उपयोग कर सका। केवल 450 साधारण बस चेसिस खरीदी गई थी, जबकि इस अवधि के दौरान 1,613 बसों को अनुपयोगी घोषित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बेड़े की संख्या में कमी आई थी।

- वाहन उत्पादकता 2015-16 में 302 किलोमीटर से थोड़ा सुधार करते हुए 2016-17 में 304 किलोमीटर हो गई थी तथा बेड़े में पुरानी बसों की वृद्धि, परिचालन हेतु उपलब्ध बेड़े के कम उपयोग और कार्यशाला में बसों के लंबे समय तक रुकने के कारण 2019-20 में घटकर 275 किलोमीटर हो गई थी। पुरानी बसों, उपलब्ध बसों का कम उपयोग और बसों के निवारक रखरखाव में देरी ने विभाग के परिचालन और वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

- विभाग के पास मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र/आंतरिक नियंत्रण नहीं था और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों से मोटर वाहन कर की राशि जमा न करने/कम जमा करने के मामले देखे गए थे। आगे, वाहनों के डीलरों/विनिर्माताओं से व्यापार फीस की वसूली न होने, वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल से लाइसेंस फीस की वसूली न करने के मामले भी देखे गए। इससे राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- ऐसे उदाहरण देखे गए जहां विभाग कानूनी/नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका जैसे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें न लगाना, वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीकरण न करना, प्रदूषण नियंत्रण केंद्र द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।

5.2 सिफारिशें

विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि:

- ❖ योजना बजट के साथ एकीकृत है और बजट का इष्टतम उपयोग किया गया है;
- ❖ निधियों का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए निधियां संस्वीकृत की गई थीं;
- ❖ बेड़े की संख्या बढ़ाने के लिए बस चेसिस की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं;
- ❖ संबंधित डिपुओं द्वारा बसों की डिलीवरी समय पर स्वीकार की गई है;
- ❖ संबंधित डिपुओं द्वारा दुकानों को पट्टे पर देने से संबंधित अनुबंध/संविदा के नियमों और शर्तों का पालन किया जाना चाहिए; तथा
- ❖ घाटे को कम करने के लिए अंतर्राज्यीय रूट की बसों को लाभदायक रूटों पर चलाया गया है।
- ❖ संबंधित वाहन मालिकों से मोटर वाहन कर और फीस की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई है और चूककर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई की गई है; तथा
- ❖ डीलरों से प्रेषण जमा करना और पंजीकरण समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है।

चण्डीगढ़ **(विशाल बंसल)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**